

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी
 राजस्व चाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर :

बनाम : श्रीम प्रकाश
 दावा : 148/2023
 आज्ञा विस्तृत रूप से

विशेष कि

क्रम संख्या
 दिनांक आज्ञा या कार्यवाही

27/03/25

पत्रावली पेश हुई वादी अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली वादी शेष साक्ष्य वादी दिनांक 28/03/25 को पेश दी है

श्रीम प्रकाश

28/3/25

पत्रावली पेश हुई वादी अधिवक्ता उपस्थित। वादी श्रीम प्रकाश उपस्थित श्रीम प्रकाश के मुख्य परीक्षण कक्षाया गया। वादी और साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते अतः वादी की स्थाय कंडली जारी दी। वादी अधिवक्ता की वादपत्र पर अंतिम बहस करने हेतु निवेदन किया। वादी अधिवक्ता की अंतिम बहस सुनी गई।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन करने एवं वादी अधिवक्ता की बहस पर मनन करने के उपरान्त वादीगण का दावा सिद्ध वर्जित होने के कारण खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृष्ठ 2 के लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली है। पत्रावली के मूल मुद्रा दोहरा नम्बर के कर दोहरा दफ्तर है।

सहायक कलक्टर
 बस्सी

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ० 20 रूल 6-7 जाप्ता दीवानी)
न्यायालय सहायक कलक्टर, बस्सी जिला जयपुर
पीठासीन अधिकारी:- शिप्रा जैन (आर.ए.एस.)

राजस्व मूल वाद संख्या:- 168/2023
जीसीएमएस नम्बर :- 2023/304

1. ओमप्रकाश पुत्र छाजू
2. केशरलाल पुत्र छाजू
3. नन्दकिशोर पुत्र छाजू
4. रमेश पुत्र छाजू

समस्त जाति बैरवा, निवासी ग्राम सांभरिया, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।

--वादीगण

--: बनाम :-

1. चौथी देवी पत्नि लल्लूराम
2. मनमर देवी पत्नी मोहन लाल
3. मोहन लाल पुत्र बिरदाराम
4. लल्लूराम पुत्र बिरदाराम

समस्त जाति बैरवा निवासी ग्राम चतरपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

5. बाबूलाल पुत्र रामसहाय
6. मोहरी पत्नी रामसहाय
7. रतन लाल पुत्र रामसहाय
8. रामदयाल पुत्र रामसहाय
9. रामानन्द पुत्र रामसहाय
10. विनोद कुमार पुत्र रामसहाय

समस्त जाति बैरवा निवासी ग्राम सांभरिया तहसील बस्सी जिला जयपुर।

11. गीता देवी पत्नी रामकरण
12. छोटा देवी पत्नी बाबूलाल
13. रामप्यारी पत्नी पांचूराम

समस्त जाति बैरवा निवासी ग्राम श्रीरामपुरा तहसील बस्सी जिला जयपुर।

14. राज० सरकार जरिये तहसीलदार बस्सी तहसील बस्सी जिला जयपुर।
15. सरपंच ग्राम पंचायत सांभरिया तहसील बस्सी जिला जयपुर।

--प्रतिवादीगण

28/3/25

दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा
अर्न्तगत धारा राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम, 1955

आज अदालत सहायक कलक्टर, बस्सी जिला जयपुर बइजलास (शिप्रा जैन
आर0ए0एस0) सहायक कलक्टर, बस्सी, जिला जयपुर बमुकदमा ओमप्रकाश
वगैरह बनाग चौथी देवी वगैरह।

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कत्ताई रुबरु दावा व हाजिरी
गिनजानिब मुद्धई रुबरु ----- गिनजानिब मुद्धायलाह
पेश होकर हुचण दिया जाता है व डिक्ली दी जाती है कि वादीगण का दावा विधि
वर्जित (बार्ड बाई लॉ) होने के कारण खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान्
अपना-अपना वहन करे।

निज----- गुबलिग----- बाबत ----- खर्चा इस मुकदमा के
गय रूद बशरह----- फीसदी सालाना/आज की तारीख से तारीख अदायगी
तक ----- को अदा करे।

तब मेरे दस्ताखत मुहर अदालत के आज दिनांक 28.03.25 को जारी
की गई।
मुहर
ओहदा

दस्ताखत

शिप्रा जैन
(आर.ए.एस.)

सहायक कलक्टर, बस्सी
जिला जयपुर।

| मुद्धई | रुपया | पैसे | मुद्धायलह | रुपया | पैसा |
|--------------------------|-------|------|--------------------------|-------|------|
| स्टाम्प अर्जीदावा | | | स्टाम्प अर्जीदावा | | |
| स्टाम्प वकालतनामा | | | स्टाम्प वकालतनामा | | |
| स्टाम्प वजह सबूत | | | स्टाम्प वजह सबूत | | |
| महनताना वकील | | | महनताना वकील | | |
| खर्चा गवाहान | | | खर्चा गवाहान | | |
| फीस कमिशनर बाबत इजराय | | | फीस कमिशनर बाबत इजराय | | |
| हुक्मनामा | | | हुक्मनामा | | |
| मुतफरिक | | | मुतफरिक | | |
| मीजान | | | मीजान | | |

मुहर

दस्ताखत

शिप्रा जैन
(आर.ए.एस.)

सहायक कलक्टर, बस्सी
जिला जयपुर।